

सिपडा योजना के अंतर्गत स्क्रीनिंग समिति के सदस्य

1. संयुक्त सचिव / उप महानिदेशक
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सिपडा योजना से संबंधित — अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव एवं वित सलाहकार
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — सदस्य
3. मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन अथवा उनके प्रतिनिधि — विशेषज्ञ सदस्य
4. निदेशक (आईपीएच), दिल्ली — विशेषज्ञ सदस्य
5. उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सिपडा योजना से संबंधित — सदस्य सचिव